



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 7
28 माघ 1942 (श०)
पटना, बुधवार, —————
17 फरवरी 2021 (ई०)

विषय-सूची	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-9	
भाग-१-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-१-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-१-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-२-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	
भाग-३-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-४-बिहार अधिनियम	---	
भाग-५-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-७-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-८-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-९-विज्ञापन	---	
भाग-९-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-९-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	10-10	
पुरक	---	
पुरक-क	11-13	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

10 फरवरी 2021

सं० 6/अ० 03-19/2019-351—बिहार वित्त सेवा (60-62वीं बैच) के श्री रवि जैन, राज्य-कर सहायक आयुक्त, जमुई अंचल, जमुई का संघ लोक सेवा आयोग, 2019 की सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयन होने तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार में योगदान करने के फलस्वरूप उनके त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक 09.10.2020 के प्रभाव से घटनोत्तर त्याग पत्र स्वीकृत करते हुए उन्हें बिहार वित्त सेवा से विरमित किया जाता है। विरमन के पश्चात भविष्य में इनका बिहार वित्त सेवा के पद पर कोई दावा विचारणीय नहीं होगा।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

12 फरवरी 2021

सं० 6/वि०पत्रा० 24-20/2020 बि० वि० से०-400—बिहार वित्त सेवा (56वीं से 59वीं बैच) के श्री शशि शेखर सिन्हा, राज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी अंचल, पटना को उनके त्याग पत्र से संबंधित आवेदन के आलोक में त्याग पत्र स्वीकृत करते हुए अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से उन्हें बिहार वित्त सेवा से विधिवत विरमित किया जाता है।

2. विरमन के पश्चात बिहार वित्त सेवा में भविष्य में इनका कोई दावा विचारणीय नहीं होगा।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

23 दिसम्बर 2020

सं०. 01/रा.स्था.(पदस्थापन)-09/2019 सह-3167—श्री कुन्दन लाल, तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, मुंगेर द्वारा अपने पद से दिनांक 24.04.2019 के पूर्वाह्न से किये गये स्वतः प्रभार त्याग के आलोक में श्री लाल का दिनांक 24.04.2019 के पूर्वाह्न से त्याग पत्र स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप सचिव।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

22 जनवरी 2021

सं० वि०प्रा०(1)स्था०-04/2014 (पार्ट)-267—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ — (1) यह नियमावली बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के परिशिष्ट-1, तालिका-1 के सहायक प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हता में मानविकी एवं विज्ञान के बाद निम्नलिखित एक नया खंड जोड़ा जाएगा :-

प्रबंधन

“किसी विषय क्षेत्र में स्नातक डिग्री तथा व्यवसाय प्रशासन/पी0जी0डी0एम0/सी0ए0/आई0सी0डब्लू0ए0/एम0कॉम में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष निष्णात डिग्री तथा निष्णात डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त दो वर्ष का व्यवसायिक अनुभव।”

3. बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के परिशिष्ट-1, तालिका-2 में “सहायक प्राध्यापक (मैनेजमेंट)” के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीम हेतु निम्नरूपेण एक नया खंड जोड़ा जाएगा :-

कुल वेटेज-100				
संवर्गीय पद	अकादमिक रिकॉर्ड, अनुसंधान निष्पादन (वेटेज-20 अंक)	कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) द्वारा मूल्यांकन (वेटेज-40 अंक)	साक्षात्कार निष्पादन (वेटेज-15 अंक)	संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक के लिए (वेटेज-25 अंक)
सहायक प्राध्यापक (मैनेजमेंट)	(a) Maximum 10 (10% of percentage marks obtained in Business Administration/PGDM/C.A/ICWA/M.Com) (b) Maximum 05 (05% of percentage marks obtained in Bachelor's degree of any discipline) (c) Ph. D -05 अंक	मैनेजमेंट के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) के संबंधित कोर विषय का पाठ्यक्रम लागू होगा।		विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं को 05 अंक प्रतिवर्ष। (अधिकतम- 25 अंक)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

The 22nd January 2021

No. Vi Pra (i) Stha-04/2014 (Part)/267---In exercise of the powers conferred under Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Engineering Education Service Rules, 2020 :-

- Short title, extent and commencement.- (1) These Rules may be called The Bihar Engineering Education Service (Amendment) Rules, 2021.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.
- The following new clause shall be added after Science & Humanities in Appendix-1, Table-1, under heading 'Qualification' for the post of Assistant Professor in the Bihar Engineering Education Service Rules, 2020 :-

Management

Bachelor's Degree in any discipline and Master's Degree in Business Administration / PGDM / C. A. / ICWA/ M. Com. with First Class or equivalent and two years of professional experience after acquiring the degree of Master's degree.

- The following a new clause shall be added in Appendix-1, Table-2 of the Bihar Engineering Education Service Rules, 2020 for weightage scheme for direct appointment to the post of Assistant Professor (Management).

Cadre Post	Total Weightage-100 marks			
	Academic Record and Research Performance (weightage-20 marks)	Evaluation of Domain- knowledge and teaching Skill through written examination (Objective) (weightage-40 marks)	Interview (weightage-15 marks)	For Assistant Professor engaged on Contract Basis (weightage-25marks)
Assistant Professor (Management)	(a) Maximum 10 (10% of percentage marks obtained in Business Administration/PGDM/C. A/ICWA/M.Com) (b) Maximum 05 (05% of percentage marks obtained in Bachelor's degree of any discipline) (c) Ph. D -05 अंक	For Management:- The syllabus of core Subject of National Eligibility Test (NET) conducted by University Grants Commission (UGC) Will be applicable.		Weightage to candidates working on contract basis on the post of Assistant Professor (Management) under Department of Science & Technology and possessing minimum eligibility criteria @ 05 marks per year (maximum-25 marks)

By Order of the Governor of Bihar,
Sd./Illegible, Joint Secretary.

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

अधिसूचनाएं
1 फरवरी 2021

सं० कारा/स्था.(मु०)-03/2016-968—कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से डा. आलोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, उपकारा, रोसड़ा को स्थानान्तरित करते हुए केन्द्रीय कारा, मोतिहारी में पदस्थापित किया जाता है।

2. डा. कुमार पारगमन अवधि का उपभोग किये बिना नव पदस्थापित कारा में अविलम्ब योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र.)।

1 फरवरी 2021

सं० कारा/स्था० (चि०) 01-03/2016-967—डा० अशोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी (नियमित), केन्द्रीय कारा, मोतिहारी द्वारा स्वयं की पत्नी की बीमारी के कारण उनके ईलाज एवं बेहतर देख-भाल हेतु अपनी सेवा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वापस करने का अनुरोध किया गया था।

2. डा० अशोक कुमार, चिकित्सक (नियमित), केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के अनुरोध के आलोक में उनकी सेवा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वापस की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र.)।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं
21 जनवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (सा०) गो०-02/2019-366501—श्री संजय कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरौली, गोपालगंज के विरूद्ध लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान लाभार्थियों द्वारा

निर्मित शौचालय का जियो टैगिंग व प्रोत्साहन राशि का भुगतान में शिथिलता, योजनाओं में कार्यप्रगति की उपलब्धि नगण्य होने एवं तत्संबंध में योजनाओं के ससमय कार्यान्वयन व पूर्णता की दिशा में दिये गये निदेशों/हिदायतों/चेतावनियों की अवहेलना करने के आरोप में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-635 दिनांक 09.09.2019 द्वारा आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया।

प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा LSBA योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरती गयी है एवं निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त नहीं की गयी है।

अतः श्री संजय कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरौली, गोपालगंज को चेतावनी का दण्ड दिया जाता है।

चेतावनी के दंड की प्रविष्टि श्री कुमार के सेवा पुस्त में की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रौशन, अपर सचिव।

21 जनवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (नि०को०) टैप-03/2020-366091—श्री राजीव रंजन कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजापाकर, वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा गठित धावादल द्वारा दिनांक 31.12.2019 को परिवादी श्री पुरुषोत्तम कुमार से 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रिश्तत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2) (क) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार को कारा निरोध की तिथि 31.12.2019 के प्रभाव से कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया।

2) कारा से मुक्त होने के उपरान्त श्री कुमार द्वारा दिनांक 04.03.2020 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या-461973 दिनांक 14.05.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9(3) (i) के आलोक में श्री कुमार को निलम्बनमुक्त करते हुए दिनांक 04.03.2020 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया।

3) श्री कुमार के विरुद्ध गंभीर कदाचार/भ्रष्टाचार का आरोप होने तथा इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-054/2019 दर्ज होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 461983 दिनांक 14.05.2020 द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9(1) (ग) के आलोक में योगदान की तिथि 04.03.2020 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया।

4) श्री कुमार के निलंबन अवधि 6 माह से अधिक होने एवं श्री कुमार के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 23.12.2020 एवं उसके साथ संलग्न श्री प्रेमराज चौहान, पुलिस निरीक्षक-सह-अनुसंधानकर्ता, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन दिनांक 09.12.2020 के समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा श्री कुमार को निलम्बन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अतएव श्री कुमार को निलंबन से मुक्त किया जाता है। निलम्बन मुक्ति के पश्चात् श्री कुमार मुख्यालय ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे।

5) उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रौशन, अपर सचिव।

21 जनवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (द०) सम०-02/2018-366511—श्री मनोज कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर, समस्तीपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोकामा, पटना के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-533 दिनांक 22.10.2018 द्वारा लोहिया स्वच्छ

बिहार अभियान एवं प्रधान मंत्री आवास योजना से संबंधित कार्य निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने, सरकारी कार्य में लापरवाही व कर्तव्यहीनता के आरोप में आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा सरकारी कार्य में लापरवाही व कार्य निष्पादन में शिथिलता बरती गयी है।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त श्री कुमार को चेतावनी का दंड दिया जाता है।

उक्त दंड की प्रविष्टि श्री कुमार के चारित्री में की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रौशन, अपर सचिव।

22 जनवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पूर्णिया) पू०-04/2019-367241—श्री मुकेश कुमार रजक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरा कोठी, पूर्णिया के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लापरवाही, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में प्रोत्साहन राशि का भुगतान लंबित रखने एवं अन्य आरोपों पर जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक-1096 दिनांक-21.08.2019 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री रजक से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री रजक के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जैसी विकासात्मक योजनाओं में लापरवाही बरती गई है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री मुकेश कुमार रजक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरा कोठी, पूर्णिया को असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री मुकेश कुमार रजक के चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रौशन, अपर सचिव।

22 जनवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) नालन्दा-05/2018-367324—श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरनौत, नालन्दा सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुरसंड (सीतामढ़ी) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक-5409 दिनांक 06.07.2018 द्वारा मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं।

अतः श्री कुमार को भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करने के लिए सचेष्ट करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रौशन, अपर सचिव।

22 जनवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (ति०) पू०च०-04/2017-367273—श्री अनुराग आदित्य, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पकडीदयाल, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास

पदाधिकारी, नौहट्टा (रोहतास) के विरुद्ध सरकारी कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के आरोप पर जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के पत्रांक-161 दिनांक 02.08.2017 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपो पर श्री आदित्य से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री आदित्य के द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा अवकाश आवेदन उचित माध्यम से नहीं देने का आरोप स्वीकार किया है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री आदित्य को चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री अनुराग आदित्य के चारित्र्य में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रौशन, अपर सचिव।

22 जनवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) भोजपुर-06/2018-367374—श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदवन्तनगर, भोजपुर के विरुद्ध बिना अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन, स्वेच्छारिता, अनुशासनहीनता, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के मार्गदर्शन का उल्लंघन करने एवं वित्तीय अनियमितता के आरोप पर जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-1021 दिनांक 15.12.2018 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री सिंह का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने विकास कार्य में शिथिलता बरती है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री सिंह के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि अवरुद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह के चारित्र्य में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रौशन, अपर सचिव।

22 जनवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) बक्सर-01/2019-367347—श्री सत्येन्द्र परासर, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर, बक्सर के विरुद्ध कार्य के प्रति लापरवाही, विभागीय निदेश के विपरीत कार्य करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना के आरोप पर जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-01-0487 दिनांक 12.03.2019 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपो पर श्री परासर से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री परासर का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने विकास कार्य में शिथिलता बरती है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री परासर के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि अवरुद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री सत्येन्द्र परासर के चारित्र्य पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रौशन, अपर सचिव।

22 जनवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पूर्वी चम्पारण) मोतिहारी-02/2018—367305—श्रीमती सीमा कुमारी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, चिरैया, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोटवा, पूर्वी चम्पारण के विरुद्ध प्रधान मंत्री आवास योजना- (ग्रामीण) इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने से संबंधित आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक-304 दिनांक 22.09.2018 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

प्रतिवेदित आरोप पर श्रीमती कुमारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्रीमती कुमारी द्वारा वरीय पदाधिकारी के निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया एवं आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरती गयी।

अतः श्रीमती सीमा कुमारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, चिरैया, पूर्वी चम्पारण को चेतावनी का दण्ड दिया जाता है।

चेतावनी के दंड की प्रविष्टि श्रीमती कुमारी के सेवा पुस्त में की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रौशन, अपर सचिव।

22 जनवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (तिरहुत) वैशाली-01/2017—367364—श्री आफताब आलम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, महुआ, वैशाली सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, गढ़पुरा (बेगूसराय) के विरुद्ध वर्ष-2016 में भीषण अग्निकांड से प्रभावित सुयोग्य पारिवारों को इंदिरा आवास का लाभ देने हेतु जिला को गलत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, CWJC सं०-2116/16 में ससमय तथ्य विवरणी तैयार नहीं करना, इंदिरा आवास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 में स्वीकृत योजना के विरुद्ध 70 प्रतिशत से कम FTO के माध्यम से लाभुकों के खाता में राशि अंतरित करना, विधि व्यवस्था के दौरान मुख्यालय में नहीं रहने तथा पल्स पोलियों उन्मूलन अभियान अंतर्गत बैठक में भाग नहीं लेना एवं सहभागिता नहीं दर्शाने के आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, वैशाली, के पत्रांक-197 दिनांक 19.01.2017 द्वारा विभाग को आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री आलम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-319348 दिनांक 27.07.2017 के द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली से मंतव्य की मांग की गयी। अनेक स्मारोपरान्त वांछित मंतव्य अप्राप्त है।

जिला पदाधिकारी से प्राप्त आरोप पत्र एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री आलम के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकारी कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही बरती गयी है।

सम्यक विचारोपरान्त श्री आफताब आलम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, महुआ, वैशाली सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, गढ़पुरा (बेगूसराय) को असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री आलम के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि दंड की प्रविष्टि श्री आलम के सेवापुस्त में की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रौशन, अपर सचिव।

22 जनवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) पटना-05/2019—367315—श्री सुशील कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर, पटना सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरा, भोजपुर के विरुद्ध कर्तव्यहीनता,

अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, कार्य के प्रति लापरवाही, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना के आरोप पर जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-658 दिनांक 20.06.2019 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपो पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में शिथिलता बरती गई है और उन्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता थी। साथ ही, अपने शिशु के इलाज हेतु अवकाश के लिए उन्होंने अनुमति नहीं ली थी।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री कुमार को भविष्य में सचेष्ट रहने का निदेश देते हुए आरोपमुक्त किया जा सकता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रौशन, अपर सचिव।

22 जनवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14(पू०)पू०-01/2017-367286—श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, डगरूआ, पूर्णिया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक-651 दिनांक 17.05.2017 द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं सम्पूर्ण प्रभार दिये बिना प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा शौचालय निर्माण के कार्य में शिथिलता बरती गयी है।

अतः श्री कुमार को चेतावनी का दंड दिया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्र्य में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रौशन, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 42-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 157—मैं अंजु कुमारी, पति—अविनाश प्रसाद, पता मो.—मंगलानगर, पोस्ट—बिहारशरीफ, थाना—लहेरी, जिला—नालंदा की स्थायी निवासी हूँ। मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण—पत्र एवं आधार कार्ड में मेरा नाम अंजु कुमारी है। शपथ—पत्र संख्या—11327, दिनांक 15/09/20 के माध्यम से यह घोषणा करती हूँ कि शादी से पहले मेरा नाम अंजु कुमारी था, परंतु अब मैं शादी के बाद अंजु कुमारी प्रसाद के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ।

अंजु कुमारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 42-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)—01—12/2018—1242
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

9 फरवरी 2021

श्री सुरेश चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा के विरुद्ध उनके मंडल कारा, बेतिया में पदस्थापन के दौरान दिनांक 11.08.2018 को जिला प्रशासन द्वारा मंडल कारा, बेतिया में की गयी औचक छापेमारी में 16 मोबाईल फोन, 13 मोबाईल चार्जर, मो0—48,300/— (अड़तालीस हजार तीन सौ रुपये मात्र) नगद एवं अन्य आपतिजनक सामग्रियों की हुई बरामदगी तथा पुनः दिनांक 21.08.2018 को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा कारा में की गयी संयुक्त छापेमारी में कारा प्रवेश मुख्य द्वार के बगल में अवस्थित जेनरेटर रूम के बगल के एक कमरे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों की हुई बरामदगी की घटना में बरती गई लापरवाही के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6499 दिनांक 11.09.2018 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबनावस्था में उन्हें शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर में संलग्न किया गया। साथ ही उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 105 दिनांक 04.01.2019 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच में श्री चौधरी के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित कुल तीन (03) आरोपों में से आरोप संख्या-01 को आंशिक प्रमाणित तथा आरोप संख्या-02 एवं 03 को अप्रमाणित पाया गया है। तदोपरान्त आरोप संख्या-01 के आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या-02 एवं 03 के अप्रमाणित पाये जाने संबंधी संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सहमत नहीं होने के कारण असहमति के बिन्दुओं को अभिलिखित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-18(3) के तहत विभागीय ज्ञापांक 5134 दिनांक 20.06.2019 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9468 दिनांक 06.11.2019 द्वारा उनके विरुद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया:—

(i) तीन (03) वर्ष तक प्रोन्नति पर रोक।

(ii) कालमान वेतन में तीन (03) वेतनवृद्धियों के समतुल्य राशि घटाकर वेतन अवनति का दंड।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9468 दिनांक 06.11.2019 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री चौधरी द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि उनके ऊपर लगे आरोपों की जाँच अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के द्वारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के आदेश से की गई। जाँचोपरान्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी द्वारा अपने पत्रांक 3746 दिनांक 23.08.2018 द्वारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें उन्हें निर्दोष पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी प्रथम आरोप को आंशिक प्रमाणित और आरोप संख्या-02 एवं 03 को अप्रमाणित पाया गया। प्रभारी उपाधीक्षक, श्री सुधांशु कुमार द्वारा दिये गये बयान को दृष्टिपथ में नहीं रखा गया है। उनके बयान से स्पष्ट होता है कि वर्णित आरोपों के लिए वे कहीं से भी दोषी नहीं हैं। औचक छापेमारी के एक दिन पूर्व वे विभागीय कार्य निविदा सम्पादन हेतु लगातार दो दिनों तक समाहरणालय, बेतिया में अतिव्यस्त रहे। इस बीच की प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रभारी उपाधीक्षक, श्री सुधांशु कुमार पर थी और उन्होंने औचक निरीक्षण में बरामद आपतिजनक सामग्रियों की जिम्मेवारी लेते हुए लिखित तौर पर अपनी गलती स्वीकारी है। इसके बावजूद दूसरे

अधिकारी द्वारा की गई गलती की सजा उनके माथे थोप कर उन पर की गई दण्डात्मक कार्रवाई एक गहरी साजिश का हिस्सा लगता है। मंडल कारा, बेतिया में कारा कर्मियों की काफी कमी थी। गेट तलाशी के क्रम में बरामद सामग्रियों को साजिश के तहत जप्ती दिखाते हुए उसे कारा में बरामद दर्शाया गया है, जो कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है।

4. श्री चौधरी के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के जाँच प्रतिवेदन में कहीं भी उन्हें निर्दोष नहीं बताया गया है; बल्कि अधीनस्थ कर्मियों की लापरवाही को इंगित किया गया है। अधीनस्थ कर्मियों के कार्यों पर सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण रखने की जवाबदेही श्री चौधरी की ही थी; जिसका निर्वहन उनके द्वारा नहीं किया गया। दूसरी ओर जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण बेतिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, जिसमें मंडल कारा, बेतिया में दो अलग-अलग तिथियों—दिनांक 11.08.2018 एवं 21.08.2018 को जिला प्रशासन की छापेमारी में बरामद भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों के लिए श्री चौधरी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी जिसके आलोक में उनके विरुद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

श्री चौधरी का यह भी कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच में प्रथम आरोप को आंशिक प्रमाणित तथा आरोप संख्या-02 एवं 03 को अप्रमाणित पाया गया। आरोप संख्या-02 में यह आरोप है कि दिनांक 11.08.2018 की छापेमारी में बरामद निषिद्ध सामग्रियों के बाद पुनः दिनांक 21.08.2018 को गुप्त सूचना के आधार पर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। उक्त छापेमारी में कारा के मुख्य द्वार के बगल में जेनरेटर के बगल के कमरे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी हुई। इसके लिए संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। परन्तु, आरोपित पदाधिकारी सम्पूर्ण कारा के नियंत्री पदाधिकारी थे। इसलिए कारा के सुरक्षित क्षेत्र में प्रतिबंधित वस्तु का प्रवेश नहीं हो, इसे सुनिश्चित करना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी; जिसका निर्वहन उनके द्वारा नहीं किया गया। इससे आरोपित पदाधिकारी की कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही, कार्यलोप, कारा के सुरक्षित क्षेत्र में प्रतिबंधित सामग्रियों के भण्डारण में उनकी संलिप्तता प्रमाणित होती है। इसी प्रकार आरोप संख्या-03 के लिए संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में आरोपित पदाधिकारी को अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह माना गया है। परन्तु आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष परस्पर विरोधी है। इसके लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-18(2) के तहत असहमति के बिन्दु अंकित करते हुए श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग गई। श्री चौधरी से प्राप्त जवाब की समीक्षा की गई एवं उसे स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया। तदोपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के आदेशानुसार दण्ड अधिरोपित किया गया है। श्री चौधरी द्वारा अपने अभ्यावेदन में उल्लिखित किया गया है कि तत्कालीन प्रभारी उपाधीक्षक द्वारा दिये गये बयान को संचालन पदाधिकारी द्वारा दृष्टिपथ में नहीं रखा गया है। किन्तु इस मामले में उक्त कर्मियों की भी संलिप्तता पायी गई है। इसलिए उनका बयान विश्वसनीय नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री चौधरी द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई एवं कारा के सुरक्षित क्षेत्र में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री के प्रवेश में उनकी संलिप्तता भी पाई गई। इसके लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री चौधरी को "तीन (03) वर्ष तक प्रोन्नति पर रोक" एवं "कालमान वेतन में तीन (03) वेतनवृद्धियों के समतुल्य राशि घटाकर वेतन अवनति का दंड" अधिरोपित किया गया है। अतः उनका पुनर्विलोकन अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं है।

5. श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा के विरुद्ध गठित आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर समेकित रूप से उन्हें दिया गया दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खॉं, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र०)।

सं० एल/एच०जी०-1512/2016-952

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

संकल्प

9 फरवरी 2021

श्री जयंत प्रताप सिंह, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, नालंदा के विरुद्ध जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना में पदस्थापन काल में कुल 58 गृह रक्षक, जिन्हें दिनांक 31.12.2014 को सेवानिवृत्त होना था, उनकी प्रतिनियुक्ति पटना में जारी रखने एवं सरकारी राशि का भुगतान करने आदि से संबंधित आरोप जैसा कि आरोप प्रपत्र—क में विभाग को प्रतिवेदित हुआ।

2. उप—महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के ज्ञापांक—5671, दिनांक 19.12.2016 द्वारा विभाग में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभाग में प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय पत्रांक—12011, दिनांक 30.12.2016 द्वारा श्री सिंह से

बचाव अभिकथन की मांग की गई। उक्त विभागीय पत्रांक के आलोक में जिला समादेष्टा का कार्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, वैशाली के पत्रांक-12/गो०, दिनांक 09.02.2017 द्वारा विभाग में कंडिकावार स्पष्टीकरण उपलब्ध कराते हुए बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, पटना से वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरांत पूरक स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने की सूचना दी गयी। पुनः जिला समादेष्टा का कार्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, वैशाली के पत्रांक-74/गो०, दिनांक 26.09.2017 द्वारा अपना पूरक स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. विभागीय पत्रांक-3814, दिनांक 09.05.2017 एवं पत्रांक-9409, दिनांक 02.11.2017 द्वारा महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना से श्री सिंह द्वारा समर्पित अंतरिम एवं पूरक स्पष्टीकरण पर मंतव्य की मांग की गई। समादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-313, दिनांक 19.01.2018 द्वारा प्राप्त मंतव्य में दोनों आरोपों के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक बताया गया।

4. तत्पश्चात् विभागीय संकल्प ज्ञापक-2397, दिनांक 23.03.2018 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री जयंत प्रताप सिंह, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, वैशाली सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, नालंदा के विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र-‘क’ पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाए। इसके लिए संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1498, दिनांक 04.12.2019 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप सं०-1 को अंशतः प्रमाणित एवं आरोप सं०-2 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-18(3) के तहत विभागीय पत्रांक-587, दिनांक 17.01.2020 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री सिंह को भेजते हुए लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री सिंह द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-14/गो०, दिनांक 18.02.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन पर अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

6. महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-23/गो०, दिनांक 02.03.2020 द्वारा विभागीय जाँच के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर श्री सिंह द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन पर मंतव्य प्राप्त हुआ। अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर गठित आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित श्री सिंह से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन की समीक्षा गई।

7. अतएव सम्यक विचारोपरान्त श्री जयंत प्रताप सिंह, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, नालंदा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 के तहत “निंदन” का दंड (आरोप वर्ष, 2015) संसूचित किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 42-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>